

प्रशिक्षु अधिकारियों को ह.च.मा. रीपा में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु
कार्यग्रहण के समय वांछित कार्यवाही

1. सभी प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा कार्यग्रहण के समय भरे जाने वाले प्रपत्र संलग्न कर दिये गये हैं। इन प्रपत्रों की पूर्ति हेतु वांछित सूचनाएँ तथा दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लावें।
2. प्रशिक्षु अधिकारियों को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करनी है।

01.01.2004 एवं उसके बाद राजकीय सेवा में नियुक्त है, वह प्रशिक्षु अधिकारी कृपया निम्न की पूर्ति/पालना सुनिश्चित करावें जिससे वेतन भुगतान में विलम्ब नहीं हो। इसके अभाव में कोषागार में वेतन बिल पारित नहीं किये जायेंगे :-

1. एम्प्लोयी आई.डी. नं.
जिसे (i) बजट हैड 2070 (ii) डी.डी.ओ. का नाम
उप निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा. रीपा, जयपुर
(iii) डी.डी.ओ. कोड – 041003
(iv) एस.आ.ईपी.एफ. यूनिट – सचिवालय, जयपुर पर स्थानान्तरित करवाना होगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
2. एन.पी.एस. (सी.पी.एफ.) कटौति प्रारम्भ हो गई है तो PRAN उपलब्ध करावें अन्यथा आवेदन फार्म प्राप्त कर भरकर लेखा शाखा में जमा करावें।
3. मेडीक्लेम बाण्ड जारी नहीं हुआ है तो मेडीक्लेम बीमा प्रस्ताव आवेदन करावें।
4. एस.बी.बी.जे. बैंक का बचत खाता होना आवश्यक है। यदि एस.बी.बी.जे. बैंक में बचत खाता नहीं हो तो शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में संधारित करावें।
5. PAN (आयकर) उपलब्ध करावें।
6. अंतिम भुगतान प्रपत्र (एल.पी.सी.) शीघ्र लेखा शाखा में प्रस्तुत करावें।